कार्यालयः महानिदेशक राज्य परिवहन, हरियाणा चण्डीगढ।

सेवा में,

1. सभी महाप्रबन्धक,
   हरियाणा राज्य परिवहन,

2. उडनदस्ता अधिकारी,
   आई0एस0बी0टी0—दिल्ली।

क्रमांक 499-500 /टी0आई—3 दिनांक 10-10-2014

विषयः— बस अड्डों तथा बसों में बीडी—सिगरेट का सेवन न करने बारे।

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5529—48 / टी0आई0—3 / दिनांक 12.12.2002 के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे कि आप अपने अधीन कार्यरत सभी चालकों व परिचालकों को कड़े आदेश दें कि वे बस अड्डों तथा बसों के अन्दर बीड़ी—सिगरेट का सेवन न करें तथा न ही यात्रियों को करने दें। इस कार्यालय में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि अभी भी बस अड्डों पर व बसों के अन्दर चालकों/परिचालकों के द्वारा धुम्रपान किया जा रहा है जो एक गम्भीर विषय है। सार्दजनिक स्थानों व सार्वजनिक बसों में धुम्रपान करना एक दण्डनीय अपराध है। धुम्रपान करने से दूसरे व्यक्तियों को असुविधा होती है तथा हरियाणा राज्य परिवहन की साख पर विपरीत प्रभाव पडता है।

अतः आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि आप अपने आगार के सभी चालकों व परिचालकों को पुनः कडे निर्देश जारी करें कि वे बस अड्डों व बसों के भीतर धुम्रपान न करें तथा न ही किसी यात्री को ऐसा करने दें। आदेशों की उल्लंघना करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए।

10/10/14
कृतेः महानिदेशक राज्य परिवहन
हरियाणा, चण्डीगढ
10/10/14